न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	सुश्री अमृता खंडेलवाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	40 / 20225
दायर दिनांक	:	19.12.2025
निर्णय दिनांक	:	16.02.2026

उनवान

1. मुरलीधर पुत्र रामजीलाल
2. सियाराम पुत्र रामजीलाल
3. अशोक पुत्र रामजीलाल
4. राकेश पुत्र रामजीलाल
5. शोभा पुत्री रामजीलाल
6. संतोष पुत्री रामजीलाल
7. ममता पुत्री रामजीलाल
8. कस्तूरी देवी पत्नि रामजीलाल
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बापी, तहसील सैंथल जिला दौसा

बनाम

1. विकास पुत्र रामअवतार
2. दीपा पुत्री रामअवतार
3. नेहा पुत्री रामअवतार
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बापी, तहसील सैंथल जिला दौसा
4. मूली देवी पुत्री मांग्या पत्नि रामकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा बौरोदा तहसील सैंथल जिला दौसा
5. नर्बदा पुत्री मांग्या पत्नि शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम तीतरवाडा तहसील सैंथल जिला दौसा
6. कामना पुत्री रामअवतार
7. अर्चना पुत्री रामअवतार
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बापी तहसील सैंथल जिला दौसा
8. विनोद पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी बी–9 गंगानगर हाल निवासी गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जनता कॉलोनी जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सैंथल जिला दौसा
10. उप पंजीयक सैंथल तहसील सैंथल जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपस्थितिः 1. श्री कमलेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा–अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

::निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्राथी संख्या 1 लगायत 7 की पैतृक संयुक्त परिवार की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम बापी तहसील सैंथल जिला दौसा में खाता संख्या नया 342 खसरा नम्बर 1742 रकबा 0.34 है0, 1743 रकबा 0.57 है0, 1744 रकबा 0.04 है0, 1756 रकबा 0.06 है0, 1757 रकबा 0.23 है0, 1758 रकबा 0.11 है0, 1764 रकबा 0.29 है0, 1765 रकबा 0.03 है0, 1766 रकबा 0.26 है0, 1767 रकबा 0.04 है0, 2087 रकबा 0.07 है0, 2089 रकबा 0.09 है0, 2090 रकबा 0.23 है0, 2091 रकबा 0.12 है0, 2093 रकबा 0.20 है0, 2094 रकबा 0.06 है0, 2095 रकबा 0.35 है0, 893 रकबा 0.43 है0, 894 रकबा 0.49 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 4.01 है0 स्थित है जो प्रार्थी अप्रार्थीगण के पितामह मांग्या उर्फ मांगीलाल की कर्ता आराजीयात बाद मृत्यु उसके जीवित दो पुत्रों रामजीलाल व कैलाश एवं दो पुत्रियों श्रीमती नर्बदा एवं मूली देवी की पैतृक आराजीयात बतौर मृतक के हिन्दू वारिसान कॉपार्शनरी कॉमन टीनेन्सी की भूमि हुई परन्तु रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत अंकत मृतक रामजीलाल व कैलाश के दर्ज रिकॉर्ड हो गयी। कैलाश पत्र मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है उसके नाम दर्ज हिस्सा 1/2 की बाबत विवाद है। वसीयतकर्ता कैलाश का पैतृक सम्पति में महज हिस्सा 1/4 की ही अधिकार था परन्तु उससे 1/2 हिस्सा की वसीयत फर्जकारी कर विकास अप्रार्थी नम्बर 1 ने कराया जाना जानकारी में आया है अब कैलाश की वसीयत के आधार पर आराजीयात का नामान्तकरण अपने हक में कराने पर उतारू है ताकि नामान्तकरण कराकर आराजीयात प्रार्थीगण के हक अधिकारात की भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर सकें वसीयत प्रश्नगत दिनांक 17.04.2017 के पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 1 पृष्ठ संख्या 9 के क्रम संख्या 9 अतिरिक्त जिल्द संख्या 1 पृष्ठ 21 से 24 उपपंजीयक कार्यालय सैंथल जिला दौसा में पंजीबद्ध है प्रार्थीगण ने तथाकथित वसीयत के निरस्तीकरण का दावा सक्षम सिविल कोर्ट में पेश कर रखा है एवं पैतृक आराजी मात्र खातेदार मांग्या उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

मांगीलाल की होने की गरज से एक वाद पत्र वादग्रस्त आराजीयात रहवासी आबादी बाडा व चाह की बाबत मांगीलाल की पुत्रियों मूली व नर्बदा द्वारा न्यायालय एस डी ओ सैंथल में अधिघोषणा व तकास्मा मय स्थायी निषधाज्ञा व टी.आई. प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर साहब दौसा के न्यायालय में पेश किया गया है। दावे के जरिये हिस्सा 2/3 भाग की हकदार घोषित करने हेतु दावा पेश किया गया है जिसमें उज्र किया गया कि मांग्या उर्फ मांगीलाल के द्वारा छोडी गयी सम्पति की मांग्या की पुत्री होने कारण हकदार है कैलाश तो मात्र हिस्सा 1/4 का हकदार था। साथ ही मांग्या की आराजीयात का नामान्तकरण रामजीलाल व कैलाश के हक में बेजा रूप से होने का भी उज्र किया गया है। नामान्तकरण विरासत मांग्या व वसीयत कैलाश बहक राकेश को चैलेंज किया गया है प्रार्थीगण मूली व नर्बदा के हक अधिकारों के मुकाबले वसीयत को अवैध प्रभावशून्य बमुकाबिले प्रार्थीगण क्लेदम बेअसर प्रभावशून्य घोषित कराते हुए अपने हक अधिकारों की उद्घोषणा चाही गई है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 8 अजनबी केता को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि ग्राम बापी तहसील सैंथल में स्थित भूमि खाता संख्या नया 342 खसरा नम्बर 1742 रकबा 0.34 है0, 1743 रकबा 0.57 है0, 1744 रकबा 0.04 है0, 1756 रकबा 0.06 है0, 1757 रकबा 0.23 है0, 1758 रकबा 0.11 है0, 1764 रकबा 0.29 है0, 1765 रकबा 0.03 है0, 1766 रकबा 0.26 है0, 1767 रकबा 0.04 है0, 2087 रकबा 0.07 है0, 2089 रकबा 0.09 है0, 2090 रकबा 0.23 है0, 2091 रकबा 0.12 है0, 2093 रकबा 0.20 है0, 2094 रकबा 0.06 है0, 2095 रकबा 0.35 है0, 893 रकबा 0.43 है0, 894 रकबा 0.49 है0 कुल किता 19 कुल रकबा 4.01 है0 अविभाजित के रहन बय अन्तरण प्रवेश नामान्तकरण आदि से निषेधित रहे तथा अप्राथी संख्या 8 को जरिये अस्थाइ निषेधाज्ञा व्यादश्श इस अमर से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करने की सूरत में न्यायालय द्वारा बेदखल फरमाया जावे लम्बित वाद की सूरत में अन्य संक्रमण, अन्तरण, नामान्तरकरण आदि कराने से प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 9, 10 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा निषेधित फरमाया जावे कि कोई भी पेश होने वाले प्रलेख रहनबय अन्तरण नामान्तरकरण बेदखली प्रार्थी की सूरत मे प्रतिबंधित रहे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

तामिल जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से करवायी गई, परन्तु कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत कर खातेदार घोषित फरमाने की याचना चाही गई है परन्तु राजस्व न्यायालय को वसीयत के आधार पर वाद को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा केवल सिविल न्यायालय को ही वसीयत के आधार पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ने तथाकथित वसीयत के निरस्तीकरण का दावा सक्षम सिविल न्यायालय में पेश कर रखा है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी रूप से साबित नहीं होता है। चूंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हाने के कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं है।

अतः हमारा अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथाः— प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत नहीं समझते है।

::आदेश::

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अतंर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांती साबित नहीं होने से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल मूल वाद के हमकिता होवें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कैथल